



659

संकहन की नियमता

सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २८४/अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक २७/०६/२०१७

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,
VFER B.Ed COLLEGE, SHRI RAM NAGAR CHOURAHA
32, KIRAMCHI BHANDARA VID. SHA 464001 MADHYA
PRADESH

दिघय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की नियंत्रता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद द्वारा संशोधित पत्र क्रमांक: १३६३४- दिनांक: २७/०५/२०१८.

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की टेबराईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी हुई क्रमांक: ३४२.

संलेख

दिया परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०५.०५.२०१७ में की गई अनुरूपा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम 1973 की धारा १५(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त आधेकार द्वारा अनुमोदनोपरावर आपके महाविद्यालय में संबलित नियमांकित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई नियंत्रित शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. दी०प०५० - १०० छन्द संलेख

शर्तेः-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की नियंत्रता के लिये नियन्त्रकार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी आधारेश क्रमांक ५, ६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय पत्रक लाईट एकाउंट से नियमित करना कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी विकास की नीतियों का विवरण दीर्घित विश्वविद्यालय को देजना होगा।
- शिक्षकों द्वारा विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- दिना संबद्धता के किसी भी छत्र का प्रवेश माल्य वही किया जावेगा तथा उक्त संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित विधानक संस्था व उक्त शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कीमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले नियंत्रण में पाई गई लैंडिंगों की सूचना विधानक संस्था तथा उक्त शिक्षा विभाग को दी जाएगी ताकि उनके विदेशानुसार आगामी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शायद पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- पिल लालपिलालय ने कलेज को २४ के तहत प्रावार्थिकों की विनियुक्ति नहीं की है तथा लियांदित संग्रहीत में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उक्त महाविद्यालयों में संबलित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना शायद वही होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अनियंत्रितता पाए जाने पर वह अदेश रखते विस्तृत माना जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसाधिक अकादमी

भोपाल, दिनांक २७/०६/२०१७

पृष्ठक्रमांक २८४/अकादमी/संबद्धता/2017



प्रतीतिपि:-

- आगुका, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय सत्र २०१७-१८ भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा पारेष्ट, मालस भवन, रायगढ़, हिल्स, भोपाल।
- उपरान्त उच्च शिक्षा विभाग म.प्र. शालज गंत्रालय बत्तम भवन भोपाल।
- उपकुलसाधिक/गोपनीय/परीक्षा वरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसाधिक के जिजी सहायक के माध्यम से सूचनार्थ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

कुलसाधिक
अकादमी



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २६४/अकादमी/संबद्धता/2017
प्रति,

भोपाल, दिनांक २९/०६/२०१८

PRINCIPAL / DIRECTOR
SWAMI VIVEKANAND SHIKSHAN SANSTHAN
45 VAISHALI, KOTRA BHOPAL

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की जिम्मेदारी सत्र 2017-18.

खलाफ़-(1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक १३३१५६ दिनांक: २०/०५/१५

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी हुए।
क्रमांक १३३१५६

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति ने बैठक दिनांक ०४.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त उपिकार में अनुमोदनोपरावत् आपके गहाविद्यालय में संचालित विभिन्नोंमें पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई किसिलता के अनुरूप शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. क्रमांक १०२५० संबद्ध संघर्ष

शर्तों:-

१. आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की जिम्मेदारी के लिये विद्यालयादर आदेश करना होगा।
२. विश्वविद्यालय के परिवेशम २८.२७ उं २४ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५.६ एवं १ का प्रस्तुत सुविधावालय होगा।
३. महाविद्यालय का आवास्य प्रकर चार्टर एकाउंटेंट से संत्वापित करना कर प्रस्तुत करना होगा।
४. शासी विद्याय की बैठकों का विवेत आगोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
५. शिक्षकों की विवृति विश्वविद्यालय के परिवेशम क्र. २८ के तहत दूर्ण कर आगी हूँडी ११ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
६. दिना संबद्धता के किसी भी छवि का प्रोत्ता गाला जही किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व नवाचारियालय प्रबंधन का होगा।
७. संबंधित विद्यालय संस्था व उक्त शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले निरीक्षण में पाई गई कमियों की सूचना विद्यालय द्वारा तथा उक्त शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उल्के विद्यालयादर आगामी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए विश्वविद्यालय द्वारा शपथ पक्का राज्यान्वय द्वारा प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
८. जिन गहाविद्यालय वे कालेज क्रोड २४ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की विवृति नहीं की है तथा विधारित समय सीमा में संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उन गहाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
९. किसी भी रूपर पर विद्यार्थी भी प्रकार की कमी/अविवितता पाए जाने पर यह आदेश रवत निश्चित गाला जाएगा।

आदेशानुसार,



मु.कुलाधिकारी अकादमी

भोपाल, दिनांक २९/०६/२०१८

प्र० क्रमांक २६४/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

१. आयुष्म, उक्त शिक्षा विभाग, संचालनालय सालपुड़ा गवलगढ़ी भोपाल।
२. श्रीब्रीब उंचालज, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानसा भवन, श्यामला हिंडू, भोपाल
३. उपसचिव उक्त शिक्षा विभाग भ.प. शासन मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल
४. उपकूलसचिव/गोपनीय/परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
५. वेदसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल


सहा.-कुलाधिकारी, अकादमी



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २६८ अकादमी संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक २७/०६/२०१८

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR

SHRI DWARIKA PRASAD YADAV MAHAVIDYALAYA,
BRIJ COLONY, SIRONJ, VIDISHA MADHYA PRADESH

दिनांक:- शत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की जिरंतता शत्र 2017-18.

सब्दन:- (1) उच्चीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १३२-३२ दिनांक: ३१/५/१८

(2) उच्चीय अध्यापक शिक्षा परिषद की देवसाईठ पट प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७, को जारी हुई
क्रमांक: ३२८

महोदय

विद्या परिषद की छाई समिति की बैठक दिनांक ०५.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की घास १५(४) के अंतर्गत कुलपति को प्रदल अधिकार में अनुबंधनोपराना आपके महाविद्यालय से संचालित नियन्त्रित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई जिरंतता विनाशित शर्तों के साथ प्रदान योग्य जारी है -

१. दी०४८० १०८ सात बजे

शर्तों:-

- आगामी शत्र 2018-19 की संबद्धता की जिरंतता के लिये जिम्मेदार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिज्ञेयम नं. २१ एवं २२ तथा पर्याकार संबद्धी अध्यापकों क्रमांक ५, ६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
- महाविद्यालय का अद्य-क्षय पत्रक चार्टर एकाउटेंट से सत्यप्रित करना कर प्रस्तुत करना होगा।
- शासी विकास की बैठकों का विवरित आयोजन एवं निरन्तर सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की विवृति प्रिवेटियाज्य के परिज्ञेयम नं. २९ के तहत पूर्ण कर उनकी हुई ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
- विद्या संबद्धता के किसी भी छव का प्रदेश माल्य बही किया जावेगा तथा उदाहरण संपूर्ण धर्याव विश्वविद्यालय प्रबोधन का होगा।
- संबंधित विद्यालय संस्था व उक्त शिक्षा विभाग द्वारा दशाई गई कमितीों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विद्येशण में पाई गई कमितीों की सूचना विद्यालय संस्था तथा उक्त शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके लिए शानुसार आगामी कर्तव्याधी की जाएगी। इसके हिए नवाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- विव लक्षणेत्र वे कालेज कोड २४ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की विवृति बही ची है तथा विधीरेत राज्य शीला में संबद्धता शूल्य जला जानी किया है, उन महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संविध नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविवितता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरक्त गाजा जाएगा।

आदेशानुसार,

डॉ. कुलसिंह अकादमी

भोपाल, दिनांक २७/०६/२०१८

पृष्ठांक २६८ अकादमी संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आलुख्त, उक्त शिक्षा विभाग, राजालजालन यात्रुद्या भवन भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, उच्चीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नागर भवन, श्यामला सिंह, भोपाल
- उपसंचार उक्त शिक्षा विभाग मंप्र शासन मंत्रालय वत्तम भवन भोपाल।
- उपकुलशिवायनोपनीय परोक्ष बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- देवसाईठ प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

डॉ. कुलसिंह अकादमी



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

फलांक २८३६/अकादमी/संबद्धता/२०१७

भोपाल, दिनांक २७/६/२०१८

प्राप्ते,

PRINCIPAL/DIRECTOR,
SAKFT SHIKSHAN SAMITI
211, CIVIL LINES, VIDISHA 464001 MADHYA PRADESH

विषय:- संख्या २०१७-१८ से अस्थाई संबद्धता की घोषणा संख्या २०१७-१८

राज्य:- (1) साधीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक २२३४५६ दिनांक ३१/८/२०१८

(2) साधीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित दिनांक ०५-०५-२०१७ को जारी सूची
क्रमांक २२६

महोदय,

विद्या परिषद की स्थाई समिति की बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की घटा १५(१) से अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपराज्ञ आपके भागविद्यालय में संचालित लिखित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई घोषणा किसानिक्त शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. वी०८८० - १८ संबद्धता

शर्तेः-

१. आजाही संख्या २०१८-१९ की संबद्धता की घोषणा के लिए लिंगाचुरार अपेक्षा करना होगा।
२. विश्वविद्यालय के परिधियम क्र.२२ एवं २८ तथा परीक्षा संबंधी अध्यादेश क्रमांक ५.६ एवं ७ का पालन सुनिश्चित करना होगा।
३. गहाविद्यालय का अध्यादेश कार्ड एकाउंट से संतुष्टिपूर्ण करना कर प्रस्तुत करना होगा।
४. शासी विकाय की बैठकों का नियमित आयोजन एवं विवरण साहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
५. शिक्षकों की नियुक्ति विश्वविद्यालय के परिविहार के २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
६. विज्ञान संबद्धता के किसी भी एवं वार्षिक विभाग की किया जायेगा तथा उसका संपूर्ण वार्षिक गहाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
७. संबंधित विभाग के सभ्या व उन शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा करताए जाने वाले निरीक्षण ने पाई गई कमियों की घूसना विभाग के सभ्या तथा उन शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके लिंगाचुरार आगामी वर्षवाही की जाएगी। इसके लिए गहाविद्यालय द्वारा शायद पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
८. जिन गहाविद्यालय व अन्य विभागों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता लाई करना संभव नहीं होगा।
९. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी अविवेकिता पाउ जावे पर वह शादेश द्वयतः विरस्त भावा जाएगा।

आदेशाचुरार



Dr. कुलचरन अकादमी

भोपाल, दिनांक २७/६/२०१८

पृष्ठक्रमांक २८३६/अकादमी/संबद्धता/२०१७

इतिलिपि:-

१. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय संपूर्ण भवन भोपाल।
२. लैंग्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, भानु भवन, शासन संचालन उत्तम भवन भोपाल।
३. उपकुलसंचिव/लोकनीय परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
४. कुलपति/कुलचरन के जिजी सहायक के माध्यम से कृपयार्य।
५. देवसाईट प्रभारी, दलतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

Dr. कुलचरन अकादमी



१४६

रांबद्धता की निरन्तरता
सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २६७/अकादमी/संबद्धता/2017
प्राप्ति,

**PRINCIPAL / DIRECTOR,
NARMADA EDUCATION SOCIETY,
COLLEGE OF EDUCATION, NEAR S.N.G. SCHOOL,
HOSHANGABAD, MADHYA PRADESH**

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई रांबद्धता की निरंतरता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: ८३५७४२ दिनांक: २७/०५/२०१५

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की बैबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची क्रमांक: १२

महोदय,

विद्या परिषद की इसाई समिति ने दिनांक ०२.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपरावृत्त आपके सहाविद्यालय में संचालित नियमोंकीत पाठ्यक्रमों की रांबद्धता की अस्थाई निरंतरता नियमोंकीत शर्तों के साथ प्रदान की जाती है :-

१. बी०एड० १०० स्नात संख्या

शर्तेः-

१. आगामी सत्र 2018-19 की रांबद्धता की निरंतरता के लिये जिम्मेदार आवेदन करना होगा।
२. विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २७ एवं २८ तथा परीक्षा रोटेशी अभ्यासेश क्रमांक ५,६ एवं ७ का पालन युनिश्चल करना होगा।
३. गहरियालग का आगे काग प्रक्रक नार्ट्ट एक्स्ट्रेट एवं रात्यापित करना कर प्रस्तुत करना होगा।
४. शारी विकास की बैठकों का विविध आयोजन एवं विवरण द्वाटिन विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
५. शिक्षकों की विशुक्ति विश्वविद्यालय के परिनियम क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई 2017 तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करनी होगी।
६. दिवा संबद्धता के किसी भी छात्र का प्रदेश माल्य बही किया जाने तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रस्तुत करना होगा।
७. संबंधित नियमक संख्या ए उपर शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कमियों तथा विश्वविद्यालय द्वारा कर्याए जाने वाले विद्यार्थी में पाई गई कमियों की सूचना वियामक संख्या तथा उपर शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके जिम्मेदार सार्वजनिक कार्यवाही दी जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा संख्या पर एक सप्ताह ने प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
८. जिल महाविद्यालय ने कालेज क्र० २४ के तहत प्राचार्य/शिक्षकों की विशुक्ति जही की है तथा जिम्मेदार समय सीमा ने संबद्धता शुल्क जमा नहीं किया है, उस महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
९. किसी भी स्तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविविक्तता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विरस्त माला जाएगा।

आदेशानुसार,

उप-कुलसंचिव अध्यापक

भोपाल, दिनांक २९/०६/२०१७

पृष्ठक्रमांक २६७/अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

१. आयुक्त, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय संबद्धता की ओपरेटर, भोपाल।
२. हेत्तीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानस भवन, श्यामला हिल्स, भोपाल
३. उपर्युक्त संचिव/लोपर्युक्त परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल
४. कुलपाले/कुलसंचिव के निजी साहायक के गायण से सूचनार्थ।
५. बैबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

सहा-कुलसंचिव, अकादमी



संबद्धता की विरतनता

सत्र 2017-18

बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

कांगड़ २६७। अकादमी/संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक २७-५-२०१८

प्रति,

PRINCIPAL / DIRECTOR,
NAMOKAR COLLEGE
RUN BY PUJYANIYA GUNSACAR EDUCATIONAL AND SOCIAL WELFARE
SOCIETY, PLCT NO - 19911/MIN-4/2, STREET NO - 34,
VILLAGE - DHOLKHEDI,
P.O. + TEHSIL + DIST. VIDISHA, 464001, MADHYA PRADESH

विषय:- सत्र 2017-18 में अस्थाई संबद्धता की विस्तृतता सत्र 2017-18.

सन्दर्भ:- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संघीयित पत्र क्रमांक: १३३८६८ दिनांक: १७-५-२०१८

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची
क्रमांक: ५१३.

लाठेड़य,

विद्या परिषद की स्थाई संगीते की वेटक दिनांक ०८.०५.२०१७ में लो गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय
अधिनियम १९७३ को धारा १५(4) के अंतर्गत कुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुमोदनोपायक आपके
महाविद्यालय में संचालित विभागित पाठ्यक्रमों की संबद्धता की अस्थाई विस्तृतता विभागित शर्तों के साथ प्रदान
की जाती है :-

१. दो०ए५० ————— छक्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विस्तृतता के लिये विद्यानुसार आवेदन करना होगा।
- विश्वविद्यालय के परिवेशम २८.२८ एवं २८ तथा परीक्षा बंदेशी आवादेश क्रमांक ५.६ एवं ७ का पालन युक्तिश्वर करना होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय परक चार्ट एकार्टेट से सत्यापित करवा कर प्रस्तुत करना होगा।
- शारीरिक विकास की वैज्ञानिक आवृत्ति एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय को भेजना होगा।
- शिक्षकों की विद्युतित विश्वविद्यालय के परिवेशम क्र. २८ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में
प्रस्तुत करनी होगी।
- विना संबद्धता के किसी भी छक्र का प्रवेश मान्य नहीं किया जावेगा तथा उसका संपूर्ण दायित्व महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संघीयित विभाग दोन्हा व उक्त शिक्षा विभाग द्वारा दर्शाई गई कामेसी तथा विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विरीक्षण में
पाई गई कामेसी की सूचना विभागित क्रमांक संख्या तथा उक्त शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके विद्यानुसार आगामी कार्यवाही
की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शपथ पत्र एक सप्ताह में प्रस्तुत करना अविवादी होगा।
- विद्यानुसार वे कामेसी क्रोड २८ के तहत ग्राहार्ड/शिक्षकों की विद्युतित जही की है तथा विद्युतित क्षमता दीमा में संबद्धता
शुल्क जमा नहीं किया है, उक्त महाविद्यालयों में संचालित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी स्तर पर विद्युतित प्रकार की कमी/अनिवार्यता पाए जाने पर यह आदेश स्वतः विस्तृत गाना जाएगा।

आदेशानुसार,

[Signature]
५८-कुलराजपत्र अकादमी नं.-
भोपाल, दिनांक २७-५-२०१८

पूरकांक २६७ अकादमी/संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आयुष्मान, उच्च शिक्षा विभाग, संतालनालय सतपुड़ा मवाल भोपाल।
- क्षेत्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, मानव भवन, शासनालय हिन्दी, भोपाल
- उपराजित उच्च शिक्षा विभाग ग.प्र. शारान मंत्रालय वल्लभ भट्ट भोपाल।
- उपराजित गोपनीय परीक्षा बरकतउल्ला विश्वविद्यालय भोपाल।
- कुलपति/कुलसभिव के निजी साक्षक के लायग से सूचनाएँ।
- देवदाराई प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल।

[Signature]
रहा-कुलराजपत्र अकादमी



बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोपाल

क्रमांक २६६८ अकादमी संबद्धता/2017

भोपाल, दिनांक २६/५/२०१८

प्राप्ति,

PRINCIPAL / DIRECTOR
CHRIST COLLEGE
RUN BY SOCIETY CHRIST ACADEMIC AND EDUCATION
SOCIETY, BIORA-BHOPAL ROAD, KACHNARIYA, BIORA, RAJGARH

विषय:- सत्र 2017-18 के अस्थाई संबद्धता जो विरंतरता सत्र 2017-18.

सूचनाः- (1) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद का संशोधित पत्र क्रमांक: १३७१२४ दिनांक: २२/५/२०१८

(2) राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की वेबसाईट पर प्रदर्शित दिनांक: ०५-०५-२०१७ को जारी सूची क्रमांक: २३६

गहोदयः

दिया परिषद की ट्यूइ समिति द्वारा बैठक दिनांक ०८.०५.२०१७ में की गई अनुशंसा तथा विश्वविद्यालय अधिनियम १९७३ की धारा १५(4) के अंतर्गत लुलपति को प्रदत्त अधिकार में अनुगोदजोपरान्त आपके महाविद्यालय द्वारा संबलित विभागित पाठ्यक्रमों की दृष्टिकोण की अस्थाई विरंतरता निम्नांकित शर्तों के दायरे में दाता होती है -

१. वी०१५० १० = छत्र संख्या

शर्तों:-

- आगामी सत्र 2018-19 की संबद्धता की विवादानुसार आवेदन करता होगा।
- विश्वविद्यालय के परीक्षणम् क्र. २७ एवं २८ तथा पौरा संबंधी अपारादेश क्रमांक ५,६ एवं ७ का पात्रता सुनिश्चित करता होगा।
- महाविद्यालय का आय-व्यय प्रक्रम वार्षिक एकाउंट से सलगाप्ति करता कर प्रस्तुत करता होगा।
- शासी विषय की दैत्यों का विषयमित आवोजन एवं विवरण सहित विश्वविद्यालय द्वारा भेजता होगा।
- विभिन्न की विद्युतिविश्वविद्यालय के परीक्षणम् क्र. २६ के तहत पूर्ण कर उनकी सूची ०१ जुलाई २०१७ तक विश्वविद्यालय में प्रस्तुत करती होगी।
- विभा संबद्धता के फैली ही जबकि का प्रतेक माल्य नहीं किया जाएगा तथा उसका संगृही दरिल महाविद्यालय प्रबंधन का होगा।
- संबंधित विद्यालय संस्था व उच्च शिक्षा विभाग द्वारा दृष्टि गढ़ कियो जाने विश्वविद्यालय द्वारा करवाए जाने वाले विदेशी में पार्श्व गई कियो की सूचना विभाग के संस्था तथा उच्च शिक्षा विभाग को दी जाएगी तथा उनके विदेशानुसार आवाजी कार्यवाही की जाएगी। इसके लिए महाविद्यालय द्वारा शायद पत्र एक साताह में प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
- जिन महाविद्यालय जो कालेज क्रोड २८ के तहत प्रावार्य/विभागों की विद्युतिविश्वविद्यालय में संबलित पाठ्यक्रमों की अस्थाई संबद्धता जारी करना संभव नहीं होगा।
- किसी भी तर पर किसी भी प्रकार की कमी/अविद्यमितता या जाने पर यह आवेदन खत: विरक्त माना जाएगा।



अदेशानुसार,

डॉ. कुलसवित अकादमी

०८ जून, २०१८

पृ० क्रमांक २६६९ अकादमी संबद्धता/2017

प्रतिलिपि:-

- आचुपता, उच्च शिक्षा विभाग, संचालनालय रात्रुमुक्त भोगाल।
- राष्ट्रीय संचालक, राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद, नान्दन अद्वा, श्यामता हिल्स, भोगाल
- उपसंचित उच्च शिक्षा विभाग संप्र. शासन कंचलय वल्लभ भवन भोगाल
- उपराज्यिकोपनीयपरीक्षा विभाग भोगाल
- कूलरन्ति कूलरन्ति के लंगी सहायत के माध्यम से सूचनाएँ।
- वेबसाईट प्रभारी, बरकतउल्ला विश्वविद्यालय, भोगाल

महा-कुलसवित अकादमी